## उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग—9 ई0पत्रा0 सं0—74929 संख्या—उ 13796/2025/XXVII(9)/स्टाम्प—82/2009 देहरादूनः दिनांकः 14 जुलाई, 2025

## <u>अधिसूचना</u>

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1904) (समय—समय पर यथासंशोधित) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में स्थित जनपदों के अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु रजिस्ट्रेशन मैनुअल उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के नियम 178 में निम्नवत् संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

नियम	विद्यमान नियम	एततद्वारा प्रतिस्थापित नियम	
178	प्रत्येक जिले के लिए जिला रजिस्ट्रार का	राज्य में स्थित जनपद	ों के निबंधन कार्यालयों
	कार्यालय केन्द्रीय अभिलेखागार होगा और	के शाश्वत काल त	क सुरक्षित रखे जाने
	उसके अपने कार्यालय तथा अधीनस्थ		
	कार्यालयों के ऐसे रजिस्टर जिन्हें		and the second
	शाश्वतकाल तक सुरक्षित रखा जाना हो,		
	इस अभिलेखागार को समय– समय पर	जनपदों के अभित	नेख अनुरक्षित किये
	भेजे जावेंगे।	जायेंगेः–	
		केन्द्रीय अभिलेखागार	जनपद का नाम
		का जनपद	
		01	02
		देहरादून	देहरादून, टिहरी,
			उत्तरकाशी
16.00		हरिद्वार	हरिद्वार, पौड़ी, चमोली,
			रूद्रप्रयाग
÷.,		ऊधमसिंहनगर	ऊधमसिंहनगर,
			चम्पावत, पिथौरागढ़
		नैनीताल	नैनीताल, अल्मोड़ा,

2– उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

Digitally signed by Dilip Jawalkar Date: 14-07-2025 11.दिन्दीमु जावलकर) सचिव।

बागेश्वर

<u>सं0-3/3796(1)/2025/XXVII(9)/स्टाम्प-82/2009/टी0सी/ई0-74929 तद्दिनांकित।</u> प्रतिलिपिः-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

- 1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 वित्त मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
- 5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
- 6. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित करते हुए उसकी 100–100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग–9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद) अपर सचिव। In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of the Notification No. 313794 /XXVII(9)/2024/Stamp-82/2009 dated 14, July, 2025 for general information.

## Government of Uttarakhand Finance Section-9 No. 313794 /2025/XXVII(9)/Stamp-82/2009/E-74929 Dehradun: dated: 14 July, 2025

## **Notification**

In exercise of the powers conferred by section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (as amended from time to time) (Uttar Pradesh Act No. 1 of 1904), the Governor is pleased to allow to make the following amendment in Rule 178 of the Registration Manual Uttar Pradesh (as applicable in state of Uttarakhand) for maintenance of records of districts situated in the State: -

Rule	Existing Rule	here by Substituted Rule		
	be a central office of record for each district, and the registers of his own and those of subordinate offices, which are to be preserved	For maintenance of records of the registration offices of the districts situated in the State, to be kept safe for perpetuity the records of the districts mentioned in column-2 will be maintained in the Central Archives (office of record) mentioned in column-1 of the following table:-		
		District of the Central Archives (office of record )	Name of District	
		01	02	
		Dehradun	Dehradun, Tehri, Uttarkashi	
		Haridwar	Haridwar, Pauri, Chamoli, Rudraprayag	
		Udham Singh Nagar	Udham Singh Nagar, Champawat, Pithoragarh	
		Nainital	Nainital, Almora, Bageshwar	

2-

The said notification shall come into force with immediate effect.

Digitally signed by Dilip Jawalkar Digital Jawalkar 11:49:022: tary